भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3130

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया

3130. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर कुल कितना बकाया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) को अधिसूचित किया। नियमों में प्रावधान किया गया है कि दिनांक 3 जून 2022 को उत्पादन कंपनियों (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं), अंतर-राज्य पारेषण लाइसेंसधारियों और ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों के विलंब भुगतान अधिभार सहित सभी बकाया राशि, को पुरानी बकाया राशि माना जाएगा और एलपीएस नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान के लिए पुन: निर्धारित देय तिथियों के साथ पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार, 13 राज्यों ने ईएमआई तंत्र के तहत दिनांक 03.06.2022 तक 1,39,947 करोड़ रुपये की बकाया राशि को पुनर्निर्धारित करने का विकल्प चुना।

एलपीएस नियम वर्तमान बकाया राशि के समयबद्ध निपटान के लिए एक रूपरेखा भी निर्धारित करते हैं और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा लगातार भुगतान चूक की स्थिति में पहुंच का उत्तरोत्तर विनियमन करते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, वित्तीय सहायता के लिए डिस्कॉम की पात्रता का आकलन करने के लिए एलपीएस नियमों का अनुपालन पूर्व-अर्हता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम, ट्रांसको और जेनको के ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत निर्दिष्ट शर्तों के निमित्त निष्पादन पर ऋण दिया जाता है। एलपीएस नियमों का अनुपालन इन विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एक मुख्य शर्त है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कुछ यूटिलिटि द्वारा पुरानी बकाया राशि के पूर्व-भुगतान सहित एलपीएस नियमों के अनुसार वितरण यूटिलिटि द्वारा 41 ईएमआई के भुगतान के बाद, दिनांक 09.12.2025 तक लंबित बकाया राशियां घटकर ₹5,747 करोड़ हो गयी हैं। डिस्कॉम भी नियमों के तहत कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपने वर्तमान बकाया राशियों का भुगतान कर रहे हैं।

****